सं0–643/कृषि एवं कृषि विपणन/2003

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसांई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1. अपर निदेशक, कृषि, उत्तरांचल कैम्प, देहरादून
2. समस्त परियोजना अधिकारी (कृषि)/जिला कृषि अधिकारी, उत्तरांचल

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग — देहरादून : दिनांक 12 मई, 2003

विषयः– प्रदेश में जैविक कृषि को बढावा देने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय फार्मो में शत–प्रतिशत एवं मैदानी क्षेत्र के फार्मो पर 50 प्रतिशत जैविक कृषि कार्यक्रम चलाने के साथ–साथ प्रत्येक जनपद के कृषि अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश में विकसित जैविक ग्राम मलगांव की तर्ज पर प्रत्येक वर्ष एक जैविक ग्राम का विकास किया जायेगा। उपयुक्त होगा कि ऐसे गांव सड़क व कस्बे/जनपद मुख्यालय के पास हों निकट बाजार उपलब्ध हो, जिससे इनका प्रयोग प्रदर्शन गांव के रुप में भी किया जा सके, साथ ही प्रारम्भ में ऐसे गांवो के चयन में प्राथमिकता दी जाय, जहां उर्वरक, कृषि रक्षा रसायनों का न्यूनतम प्रयोग हो रहा हो, इसी तरह प्रदेश में किसी विकासखण्ड व जनपद को पूर्णतः जैविक कृषि के रुप में विकसित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2– प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हरी खाद के रुप में ढैंचा के प्रयोग को बढावा दिया जाय साथ ही वैज्ञानिक पर्वतीय क्षेत्र में भी हरी खाद हेतु उपयुक्त प्रजातियों को चिन्हित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में व्हाइट क्लोवर तथा Lupin (बनाड़) की उपयुक्तता को भी देख लिया जाय इसके साथ ही कृषि में बायोमास को जलाने की जो प्रथा है, उस पर रोक लगाई जाय, इस बायोमास को कम्पोस्ट के रुप में प्रयोग की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय।

3– प्रदेश में सभी निजी गौशालाओं में पशुओं के गौमूत्र, गोबर एवं बायोगैस के विभिन्न तकनीकों द्वारा द्वारा कृषि कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाय।

4– प्रत्येक प्रक्षेत्र तथा विकासखण्ड में वर्मी कल्चर सेन्टर विकसित किया जाय।

5– बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग को बढावा दिया जाय। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न फसलों हेतु उपयुक्त वायो फार्टिलाइजर स्ट्रेन को चिन्हित कर उनका अधिकाधिक प्रयोग किया जाय। कृषक पाठशाला में आई0टी0 के (पारम्परिक तकनीकी) के अर्न्तगत कृषि तकनीकों को।

6– कृषक पाठशालाओं में महिला कृषकों की भगीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाय।

7– विभिन्न स्तर के कर्मचारियों/ अधिकारियों व मास्टर ट्रेनरों का जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं में दक्षता बढाने हेतु विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

8– जैविक कृषि के सम्बन्ध में जैविक ग्राम के अर्न्तगत प्राप्त सफल प्रयोगों का नियमित संकलन किया जाय।

9— जनपद में जैविक कृषि से सम्बन्धित कार्यो हेतु परियोजना अधिकारी (कृषि)/जिला कृषि अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। ,

10— जैविक कृषकों के पंजीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर के सहयोग से ग्राम पंचायतों के कृषि समिति को अधिकृत किया जाय।

11— यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रदेश के सभी विकासखण्डों में कम से कम 5 जैविक ग्राम चयनित हों, जैविक ग्राम से सम्बन्धित एक निर्देशिका तैयार की जाय।

12— उपभोक्ताओं में जैविक कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में जागृति अभियान के रुप में प्रत्येक जनपद में सीजनवाइज जैविक कृषि मेले का आयोजन किया जायेगा। धीरे–धीरे इनका विस्तार विकासखण्ड स्तर पर भी किया जायेगा।

13— प्रदेश में स्थित 2300 महिला डेयरी सोसायटी को भी जैविक ग्राम के रुप में विकसित किया जायेगा। डेयरी से सम्बन्धित कृषक/ महिलाओं का विस्तृत प्रशिक्षण कराया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा माह अप्रैल के अन्त तक इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर अवगत करायें।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव।

सं0— /कृषि एवं कृषि विपणन/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु :—

1— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
2— निदेशक, उत्तरांचल स्टेट सीड एण्ड आर्गनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेन्सी, देहरादून।
3— निदेशक, डेयरी एवं दुग्ध विकास, उत्तरांचल।
4— डेरी विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
5— अपर परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण, परियोजना, देहरादून।
6— मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, बसन्त बिहार, देहरादून।

(डा0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव।